न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 20/2024

वादी :— बाबूलाल पुत्र श्री भबूतराम, जाति सीरवी आयु 57 वर्ष, निवासी भैरूसर डेयरी के पीछे, बेरा कागों का मंगरिया, ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।
2. ढगलाराम पुत्र श्री चेलाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भैरूसर, ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज.
3. नारायणराम पुत्र श्री सार्दुलराम जाति घांची, निवासी ग्राम बिंजवाड़िया, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती/शुद्धि

उपस्थितिः—वादीग की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं.1— सरकारी पेरोकार।
प्रतिवादी सं. 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय **दिनांकः**—13/11/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 102 रकबा 4.9834 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय आई हुई है, जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार 249 है। जिसे वादपत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में सादुल, आसिया पिसरान बुधा कौम घांची का 1/4 हिस्सा दर्ज था, जिसके अनुसार सादुल का 1/8 वॉ हिस्सा व आसिया का 1/8 वॉ हिस्सा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में बनता था। सादुल फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 279 द्वारा सादुल के स्थान पर सादुल के वारिस अमराराम, लालूराम, बाबूलाल, नारायणराम (प्रतिवादी संख्या 3) पिसरान सादुलराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 में दर्ज किया गया। लालूराम पुत्र सादुलराम कुंवारा फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 662 द्वारा लालूराम के स्थान पर लालूराम के वारिस/भाई अमराराम, बाबूलाल, नारायणराम (प्रतिवादी संख्या 3) पिसरान सादुलराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में दर्ज किया गया। इस प्रकार सादुलराम व उनका पुत्र लालूराम कुंवारा फौत होने से बाबूलाल, नारायणराम (प्रतिवादी संख्या 3), अमराराम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पिसरान सादुलराम को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार 1/24–1/24–1/24 वॉ हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। बाबूलाल पुत्र सादुलराम ने जरिये उतराधिकार अपना निहित व दर्ज 1/24 वॉ हिस्सा अपने भाई नारायणराम पुत्र सादुलराम (प्रतिवादी संख्या 3) को रजिस्टर्ड बैचाननामा द्वारा बैचान कर दिया तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 1134 द्वारा क्रेता नारायणराम (प्रतिवादी संख्या 3) का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में दर्ज किया गया। नारायणराम पुत्र सादुलराम (प्रतिवादी संख्या 3) ने अपने भाई बाबूलाल से खरीदसुदा हिस्सा 1/24 को छोड़कर जरिये उतराधिकार अपना निहित व दर्ज 1/24 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 18.06.2002 को वादी को बैचान कर दिया तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 826 द्वारा क्रेता/वादी बाबूलाल का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में दर्ज किया गया। अमराराम पुत्र सादुलराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन अमराराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अमराराम के वारिस गुड्डीदेवी, तारादेवी, धापू, सीतादेवी, तीजादेवी पुत्रिया अमराराम, मैनादेवी पत्नी अमराराम, प्रहलादराम, मदनलाल, रूपाराम पिसरान अमराराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज किया गया तथा अमराराम के प्रत्येक वारिस का सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार 1/240 वॉ हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। आसिया फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 264 द्वारा आसिया के स्थान पर आसिया के वारिस सायरी पत्नी आसुराम, भोलाराम, भूराराम, पुखाराम पिसरान आसुराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 में दर्ज किया गया। सायरी बेवा आसुराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 562 के द्वारा सायरी के स्थान पर सायरी के वारिस भोलाराम, भूराराम, पुखाराम पिसरान आसुराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 में दर्ज किया गया। इस प्रकार आसुराम व सायरी फौत होने से भोलाराम, भूराराम, पुखाराम पिसरान आसुराम को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार 1/24–1/24–1/24 वॉ हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। भोलाराम पुत्र आसुराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी संख्या 961 द्वारा भोलाराम के स्थान पर उसके वारिस सोहनलाल, चम्पालाल, गणपतराम, अंगाराम पिसरान भोलाराम, पतासीदेवी पत्नी भोलाराम, प्रेम, दुर्गा पुत्रिया भोलाराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में दर्ज किया गया तथा भोलाराम के प्रत्येक वारिस का सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार 1/168 वॉ हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। भूराराम पुत्र आसुराम फौत होने पर जरिये फौतेदगी संख्या 445 द्वारा भूराराम के स्थान पर उसके वारिस ओमप्रकाश पुत्र भूराराम, गीतादेवी पत्नी भूराराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 में दर्ज किया गया। ओमप्रकाश पुत्र भूराराम, गीतादेवी पत्नी भूराराम ने जरिये उतराधिकार अपना निहित व दर्ज 1/24 वॉ हिस्सा रजिस्टर्ड बैचाननामा द्वारा जगदीश पुत्र भंवरलाल को बैचान कर दिया तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 1449 द्वारा क्रेता जगदीश का प्रथम बार नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2068 में दर्ज किया गया। पुखाराम पुत्र आसुराम द्वारा जरिये उतराधिकार अपना निहित व दर्ज 1/24 वॉ हिस्सा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

19.02.2004 द्वारा 1/24 वॉ हिस्सा में से 5/6 वॉ हिस्सा ढगलाराम पुत्र चेलाराम (प्रतिवादी संख्या 2) को व 1/24 वॉ हिस्से में से 1/6 हिस्सा वादी बाबूलाल पुत्र भबुतराम को बैचान कर दिया तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 870 द्वारा क्रेतागण प्रतिवादी संख्या 2 ढगलाराम व वादी बाबूलाल का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में दर्ज किया गया। वादी बाबूलाल द्वारा पुखाराम से खरीद किया गया 1/24 वॉ हिस्सा में से 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.03.2005 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ढगलाराम को बैचान कर दिया तथा बैचाननामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 916 द्वारा क्रेता ढगलाराम की खरीदसुदा भूमि प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में दर्ज की गयी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ढगलाराम का सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से उपरोक्त दोनो रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार अमराराम पुत्र सादुलराम का 1/24 वॉ हिस्सा जो अमराराम फौत होने पर उसके वारिसान गुड्डीदेवी, तारादेवी, धापू, सीतादेवी, तीजादेवी पुत्रिया अमराराम, मैनादेवी पत्नी अमराराम, प्रहलादराम, मदनलाल, रूपाराम पिसरान अमराराम प्रत्येक को जरिये उतराधिकार 1/240 वॉ हिस्सा के रूप में निहित व दर्ज हुआ जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में सही दर्ज है। इसी प्रकार जरिये उतराधिकार भोलाराम पुत्र आसुराम का 1/24 वॉ हिस्सा जो भोलाराम फौत होने पर उसके वारिस सोहनलाल, चम्पालाल, गणपतराम, अंगाराम पिसरान भोलाराम, पतासीदेवी पत्नी भोलाराम, प्रेम, दुर्गा पुत्रिया भोलाराम प्रत्येक को जरिये उतराधिकार 1/168 वॉ हिस्सा के रूप में निहित व दर्ज हुआ जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में सही दर्ज है। इसी प्रकार जरिये उतराधिकार भूराराम पुत्र आसुराम का 1/24 वॉ हिस्सा जो भूराराम फौत होने पर उसके वारिस ओमप्रकाश व गीतादेवी को जरिये उतराधिकार निहित हुआ तथा ओमप्रकाश व गीतादेवी से उनका निहित व दर्ज 1/24 वॉ हिस्सा क्रेता जगदीश पुत्र भंवरलाल ने खरीद किया जो जगदीश पुत्र भंवरलाल के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में सही दर्ज है। वादी का नारायणराम पुत्र आसुराम से खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज नही है। जबकि वादी का उक्त खरीदसुदा हिस्सा प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 826 के आधार पर दर्ज किया गया, उसके बाद आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश दर्ज नही किया गया तथा उसके बाद की जमाबन्दी यानि चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में भी हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूल से दर्ज नही किया गया। इस प्रकार वादी का खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा हल्का पटवारी की लिपिकीय भूल से चालु जमाबन्दी में दर्ज नही किया गया। जबकि वादी अपना खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार दर्ज करवाने व दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ढगलाराम द्वारा पुखाराम पुत्र आसुराम व वादी बाबूलाल पुत्र भबूतराम से खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 में प्रथम बार व उसके आगे की जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में सही दर्ज किया गया, परन्तु चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 2 के खरीदसुदा उक्त 1/24 वॉ हिस्सा के स्थान पर 1/16 वॉ हिस्सा अशुद्ध दर्ज कर दिया। इसलिए लिपिकीय त्रुटिवश चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में प्रतिवादी संख्या 2 के अशुद्ध 1/16 वॉ हिस्सा के स्थान पर शुद्ध व सही हिस्सा 1/24 वॉ हिस्सा शुद्ध व दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 नारायणराम पुत्र सादुलराम द्वारा अपने भाई बाबूलाल पुत्र सादुलराम से खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में सही दर्ज किया गया तथा इसके बाद आगे की जमाबन्दी यानि चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में प्रतिवादी संख्या 3 का खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा के स्थान पर हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश 1/16 वॉ हिस्सा अशुद्ध दर्ज कर दिया। इसलिए लिपिकीय त्रुटिवश चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में प्रतिवादी संख्या 3 के अशुद्ध 1/16 वॉ हिस्सा के स्थान पर शुद्ध व सही हिस्सा 1/24 वॉ हिस्सा शुद्ध व दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का अशुद्ध हिस्सा वादी इसलिए शुद्ध करवाना चाहता है कि यदि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध हिस्सा शुद्ध नही किया गया तो सभी हिस्सेदारों के हिस्से का भागफल एक नही आयेगा, जिसकी वजह से वादी के दुरूस्त किये जाने वाले हिस्से का न तो म्यूटेशन हो सकेगा व न ही राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में इन्द्राज किया जा सकेगा। वादी द्वारा खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी में जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 के अनुसार चालु जमाबन्दी में दर्ज व दुरूस्त करने, प्रतिवादी संख्या 2 का चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16 के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 व जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में दर्ज शुद्ध हिस्सा 1/24 के अनुसार चालु जमाबन्दी में शुद्ध करने व प्रतिवादी संख्या 3 का चालु जमाबन्दी में दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16 के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में दर्ज शुद्ध हिस्सा 1/24 के अनुसार चालु जमाबन्दी में शुद्ध करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है। इसलिए वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि में से खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 के अनुसार चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज व दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती का व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16–1/16 के स्थान पर जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 व जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 में दर्ज शुद्ध हिस्सा 1/24–1/24 के अनुसार चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में शुद्ध/दुरूस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती/शुद्धि हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलावा वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज अन्य सहखातेदारों को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नही बनाया है क्योकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलावा वादग्रस्त कृषि भूमि के दर्ज अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अलावा वादग्रस्त कृषि भूमि के दर्ज अन्य सहखातेदार आवश्यक पक्षकार नही है तथा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती व शुद्धि किये जाने से अन्य दर्ज सहखातेदारान के दर्ज हिस्से प्रभावित नही होंगे। इस कारण भी वादग्रस्त कृषि भूमि के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दर्ज अन्य सहखातेदार प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार नही है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 व चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खतौनी के समय वादी की खरीदसुदा भूमि हिस्सा 1/24 का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 के अनुसार दर्ज नही किये जाने से, प्रतिवादी संख्या 2 की खरीदसुदा भूमि हिस्सा 1/24 के स्थान पर चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में अशुद्ध हिस्सा 1/16 हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज किये जाने से, प्रतिवादी संख्या 3 की खरीदसुदा भूमि हिस्सा 1/24 के स्थान पर चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में अशुद्ध हिस्सा 1/16 हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज किये जाने से, जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को उपरोक्तानुसार दुरूस्ती व शुद्धि का निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इन्कार किये जाने से बमुकाम ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है। दावा बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती के लिये होने से तथा विवादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम बिंजवाड़िया, तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनवाई करने व श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 102 रकबा 4.9834 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय में से वादी का खरीदसुदा 1/24 वॉ हिस्सा चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056 के अनुसार दुरूस्त व दर्ज किये जाने की डिक्री/आदेश जारी फरमावे तथा मुताबिक डिक्री/आदेश के अनुसार दुरूस्ती का म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम बिंजवाडिया, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 102 रकबा 4.9834 हैक्टेयर किस्म चाही तृतीय की चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 का दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16 के स्थान पर शुद्ध हिस्सा 1/24 वॉ हिस्सा दुरूस्त/शुद्ध किये जाने व प्रतिवादी संख्या 3 का दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16 के स्थान शुद्ध हिस्सा 1/24 वॉ हिस्सा दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश जारी फरमावे तथा मुताबिक आदेश के अनुसार दुरूस्ती/शुद्धि का म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम राजस्व बींजवाडिया तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 102 रकबा 4.9834 किस्म चाही तृतीय आई हुई है। जिसके खाता सं. चालू जमाबंदी अनुसार 249 है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार खसरा सं. 102 की कृषि भूमि पूर्व में सादुल, आसिया पुत्र बुधा कौम घांची का 1/4 हि. दर्ज था जिसके अनुसार सादुल का 1/8 वां व आसिया का 1/8 वां हिस्सा बनता था। खातेदार सादुल के फौत हो जाने पर जरिये विरासत नामा. सं0 279 द्वारा सादुल

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

के स्थान पर सादुल के वारिस अमराराम, लालूराम, बाबूलाल, नारायणराम पिसरान सादुलराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2023 से 2039 में दर्ज हुआ। लालूराम के (कुआंरा) फौत होने पर उनके वारिसान अमराराम, बाबूलाल, नारायणराम पिसरान सादुलराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 में दर्ज किया गया। इस प्रकार सादुलराम व उनका पुत्र लालूराम फौत होने से बाबूलाल, नारायणराम, अमराराम पुत्र सादुलराम को उक्त खसरे की कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार 1/24, 1/24, 1/24 हिस्सा दर्ज हुआ। खातेदार बाबूलाल पुत्र सादुलराम ने जरिये उतराधिकार अपना निहित व दर्ज 1/24 वां हिस्सा अपने भाई नारायणराम पुत्र सादुलराम को रजिस्टर्ड बैचाननामा द्वारा बैचान कर दिया। बैचान नामा. सं. 1134 द्वारा क्रेता नारायणराम का नाम जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटिवश बाबूलाल के खरीदसुदा 1/24 के स्थान पर 1/16 वां हिस्सा दर्ज कर दिया था। खातेदार नारायणराम पुत्र सादुलराम अपने भाई बाबूलाल से खरीदसुदा हि. 1/24 को छोडकर जरिये उतराधिकार अपना निहित व दर्ज 1/24 हि. जरिये रजि.बैचान दिनांक 18.06.2002 को वादी को बैचान कर दिया। तथा बैचान नामा.सं. 826 द्वारा क्रेता/ वादी बाबूलाल का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 में दर्ज किया गया। परन्तु पुरानी जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 व चालू ज़माबंदी के खतौनी के समय लिपिकीय त्रुटिवश वादी व बाबूलाल का खरीदसुदा 1/24 वां हिस्सा दर्ज नहीं हुआ। अमराराम पुत्र सादुलराम फौत होने पर जरिये विरासत नामा. अमराराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अमराराम के वारिस गुडडीदेवी, तारादेवी, धापू, सीतादेवी, तीजीदेवी पुत्री अमराराम, मैवादेवी पत्नी अमराराम व प्रहलादराम, मदनलाल, रूपाराम पुत्र अमराराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज किया गया तथा अमराराम के प्रत्येक वारिस का सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार 1/240 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ जो चालू जमाबंदी में सही दर्ज है। खातेदार आसिया फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 264 के आसिया के स्थान पर आसिया के वारिस सायरी पत्नी आसुराम, भोलाराम, भूराराम, पुखाराम पिसरान आसुराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में दर्ज किया गया। सायरी बेवा आसुराम के फौत होने पर नामा. सं. 562 के जरिये वारिस भोलाराम, भूराराम, पुखाराम पुत्र आसुराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2049 से 2052 में दर्ज किया गया। इस प्रकार आसुराम व सायरी फौत होने से भोलाराम, भूराराम, पुखाराम पुत्र आसुराम को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उतराधिकार 1/24, 1/24, 1/24 वां हिस्सा दर्ज हुआ। खातेदार भोलाराम पुत्र आसुराम फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 961 द्वारा भोलाराम के स्थान पर उसके वारिस सोहनलाल, चम्पालाल, गणपतराम, अंगाराम पुत्र भोलाराम, पतासी देवी पत्नी भोलाराम , प्रेम , दुर्गा पुत्रिया भोलाराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी 2053 से 2056 में दर्ज किया गया। तथा भोलाराम के प्रत्येक वारिस का सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से जरिये उताराधिकार 1/168 वां हिस्सा दर्ज हुआ। जो चालू जमाबंदी में भी सही दर्ज है। खातेदार भूराराम पुत्र आसुराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 445 द्वारा भूराराम के स्थान पर उसके वारिस ओमप्रकाश पुत्र भुराराम, गीतादेवी पत्नी भूराराम का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2045 से 2048 में दर्ज किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

ओमप्रकाश पुत्र भूराराम, गीतादेवी पत्नी भूराराम ने जरिये उतराधिकार अपना निहित 1/24 वां हिस्सा रजिस्टर्ड बैचान द्वारा जगदीश पुत्र भंवरलाल को बैचान कर दिया गया तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज नामा. सं. 1449 द्वारा क्रेता जगदीश का प्रथम बार नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2063 से 2068 में दर्ज किया जो चालू जमाबंदी में सही दर्ज है। खातेदार पुखाराम पुत्र आसुराम द्वारा जरिये उतराधिकार अपना निहित व दर्ज 1/24 वां हिस्से में 5/6 हि. ढगलाराम पुत्र चेलाराम को व 1/24 वां हिस्से में से 1/6 हिस्सा वादी बाबूलाल पुत्र भबूतराम को बैचान कर दिया। तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर दर्ज नामा. सं. 870 द्वारा क्रेतागण प्रतिवादी सं. 2 ढगलाराम व वादी बाबूलाल का नाम प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 में दर्ज किया गया। वादी बाबूलाल द्वारा पुरखाराम से खरीद किया गया 1/24 वां हिस्सा में से 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 15.03.2005 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 ढगलराम को बैचान कर दिया तथा बैचाननामा के आधार पर दर्ज नामा सं. 916 द्वारा क्रेता ढगलाराम की खरीदसुदा भूमि प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 में दर्ज की गई। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 2 ढगलाराम की सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से उपरोक्त दोनों रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर खरीदसुदा 1/24 वां हिस्सा निहित व दर्ज हुआ। चालू जमाबंदी की खतौनी में लिपिकीय त्रुटिवश ढगलाराम के खरीदसुदा 1/24 वां हिस्से के स्थान पर 1/16 वां हिस्सा दर्ज कर दिया गया।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा सं. 102 रकबा 4.9834 हैक्टयर में से वादी का खरीदसुदा 1/24 वां हिस्सा चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 के अनुसार दुरूस्त व दर्ज किया जाना उचित है। तथा इसके अलावा चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज प्रतिवादी सं. 2 का दर्ज अशुद्ध हिस्सों 1/16 के स्थान पर शुद्धि 1/24 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 का दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16 के स्थान पर शुद्धि हिस्सा 1/24 वा हिस्सा दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र बाबूलाल पुत्र भबूतराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के खसरा सं. 102 , प्रदर्श 2 रजिस्टर्ड बैचाननामा. पुखराज बहक ढगलाराम, प्रदर्श 3 म्यूटेशन सं. 870 ग्राम बिंजवाडिया, प्रदर्श 4 म्यूटेशन सं. 113 ग्राम बिंजवाडिया, प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 खसरा सं. 102 ग्राम बिंजवाडिया आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कई सरकारी दस्तावेज जैसे राजस्व जमाबंदी, रजिस्टर्ड बैचाननामा व नामा. आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी ग्राम बींजवाडिया के खसरा सं. 102 रकबा 4.9834 हैक्टयर में से जरिये बैचान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

नामा. सं. 826 द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 में नाम दर्ज किया गया परन्तु पुरानी जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 व चालू जमाबंदी के खतौनी के समय लिपिकीय त्रुटिवश वादी बाबूलाल का खरीदसुदा 1/24 वां हिस्सा दर्ज नहीं किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ने अपने भाई बाबुलाल से जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर बैचान नामा. सं. 1134 में प्रतिवादी सं. 3 का नाम जमाबंदी चौसाला 2065 से 2068 में दर्ज किया लेकिन चालू जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटिवश बाबूलाल के खरीदसुदा 1/24 के स्थान पर 1/16 वां हिस्सा दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी सं. 2 ने पुखाराम पुत्र आसुराम के दर्ज 1/24 वां हिस्से में से 5/6 हि. दिनांक 19.02.2024 को खरीद की तथा शेष 1/6 हिस्सा वादी बाबूलाल पुत्र भबूतराम द्वारा खरीद की। दिनांक 15.03.2005 को वादी बाबूलाल द्वारा पुखाराम से खरीद भूमि को प्रतिवादी सं. 2 ढगलाराम को बैचान कर दी। बैचाननामा के आधार पर नामा. सं. 916 द्वारा ढगलाराम का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 में दर्ज हुआ। उपरोक्त दोनों बैचाननामा के आधार पर प्रतिवादी सं. 2 ढगलाराम का खरीदसुदा 1/24 वां हिस्सा दर्ज हुआ लेकिन चालू जमाबंदी की खतौनी में लिपिकीय त्रुटिवश प्रतिवादी सं. 2 ढगलाराम के खरीदसुदा 1/24 वां हिस्से के स्थान पर 1/16 वां हिस्सा दर्ज कर दिया गया। इस कारण वादी अपने 1/24 वा हिस्से की जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 के अनुसार दुरूस्त कराने का अधिकारी है तथा साथ ही प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा अपने अशुद्ध हिस्से को शुद्ध कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्धि करने में अपनी सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बींजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 4.9834 हैक्टयर में वादी का खरीदसुदा 1/24 वां हिस्सा चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 के अनुसार दुरूस्त व दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तथा प्रतिवादी सं. 2 का दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16 के स्थान पर शुद्धि 1/24 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 का दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16 के स्थान पर शुद्धि 1/24 वां हिस्सा दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी :– बाबूलाल पुत्र श्री भबूतराम, जाति सीरवी आयु 57 वर्ष, निवासी भैरूसर डेयरी के पीछे, बेरा कागों का मंगरिया, ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।
2. ढगलाराम पुत्र श्री चेलाराम जाति सीरवी निवासी बेरा भैरूसर, ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राज.
3. नारायणराम पुत्र श्री सार्दुलराम जाति घांची, निवासी ग्राम बिंजवाड़िया, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती / शुद्धि

राजस्व वाद संख्या :– 20 / 2024

<u>निर्णय</u> **दिनांक** :– 13/11/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं 1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बींजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 102 रकबा 4.9834 हैक्टयर में वादी का खरीदसुदा 1/24 वां हिस्सा चालू जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 में जमाबंदी संवत् 2053 से 2056 के अनुसार दुरूस्त व दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तथा प्रतिवादी सं. 2 का दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16 के स्थान पर शुद्धि 1/24 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 का दर्ज अशुद्ध हिस्सा 1/16 के स्थान पर शुद्धि 1/24 वां हिस्सा दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक —की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/11/2024 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी